SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE B.N.S.S.2023

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

In the Court of न्यायालय भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Case No. **- 349/2026** Summary Complaint or report made on .17-06-2026

Name and address of the complainant मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

Name, Parentage caste and adders of accused

प्रतापसिंह कुशवाह पुत्र खरगाराम कुशवाह आयु 35 साल निवासी ग्राम बासगढ़, थाना करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आप दिनांक 17.06.2026 के समय 18:10 बजे या उसके लगभग स्थान आरोपी की दुकान के बाहर ग्राम बासगढ़ अंतर्गत थाना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. में 20 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के अभियुक्त अपने आधिपत्य में बिना वैध लाइसेंस के रखे हुए पाये गया।

आपका उक्त कृत्य धारा 34 (1) आबकारी एक्ट, 1915 के अंतर्गत दंडनीय है जिसकी संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को है या तुम्हे अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

भूपेन्द्र यादव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक–मुझे उक्त अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

भूपेन्द्र यादव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

न्यायालयः—भूपेन्द्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)

प्रकरण कमांक Sum/349/2026
Filling.NO. Sum/2446/2026
Registration No-SUM/349/2026

(//निर्णय//)

(आज दिनांक 12.08.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त प्रतापसिंह कुशवाह के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी के अपराध कमांक 407/2026 अंतर्गत धारा 34 (1) आबकारी एक्ट, 1915 का आरोप है।

2. अभियोजन मामले के अनुसार दिनांक 17.06.2026 के समय 18:10 बजे या उसके लगभग स्थान आरोपी की दुकान के बाहर ग्राम बासगढ़ अंतर्गत थाना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. में 20 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के अभियुक्त अपने आधिपत्य में बिना वैध लाइसेंस के रखे हुए पाये गया, जिसे रखने के संबंध में अभियुक्त के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था तथा अभियुक्त से 20 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा जप्त की गयी है।

3. अपराध विवरण लगाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपराध की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी एक्ट, 1915 के अपराध हेतु दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

4. कारित अपराध की प्रकृति व स्वरूप को देखते हुये अभियुक्त परिवीक्षा का पात्र नहीं है।

5. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी एक्ट, 1915 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास के दण्ड एवं 1000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड में व्यक्तिकम पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

6. प्रकरण में जप्त 20 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा के रिवीजन अवधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा रिवीजन होने की दशा में माननीय रिवीजन न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

स्थान :—करैरा जिला शिवपुरी

दिनांक :—12.08.2026

भूपेन्द्र यादव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)